95/19
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 95/2019 (RCMS 2019/00161) अनवानी 1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह 2. मनजीत कौर पुत्री बलदेव सिंह जाति सैनी सिख निवासीगण चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी इंग्लैंड जरिये मुख्त्यारेआम श्रीमती बीरां देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह जाति सैनी सिख, निवासी इंग्लैंड हाल निवासी चक 47 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम बलदेव सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति सैनी सिख, निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 2. डेविड सिंह पुत्र बलदेव सिंह, जाति सैनी सिख, निवासी चक 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 3. किरणपाल कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 25 एफ.एफ.(बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, (राजस्व) एवं उप पंजीयक महोदय, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 5. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2019

प्रार्थीगण की ओर से श्री राजवीर सिंह अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री जीतपाल सिंह सैनी, अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से कुलविन्द्र सिंह, अधिवक्ता उपस्थित है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 892 दिनांक 09.08.2019 एवं स्मरण पत्र 933 दिनांक 21.08.2019 से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से टिप्पणी चाहे जाने पर भी, प्राप्त नहीं हुई है। दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष उनके द्वारा एक दावा संख्या 111/2018 अनवानी गुरदीप सिंह आदि बनाम बलदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं विविध प्रकरण संख्या 616/2018 अनवानी गुरदीप सिंह आदि बनाम बलदेव सिंह आदि लम्बित है और उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है और प्रार्थीगण संख्या 5 का पीठासीन अधिकारी पर पूर्ण दबाव है और उनके दबाव में

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

95/19
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आकर उक्त दावा एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में बिल्कुल छोटी छोटी तारीख पेशियां दी जा रही है, जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है और प्रार्थीगण द्वारा उक्त आश्य की आपत्ति भी पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश की थी कि उनकों न्याय मिलने की सम्भावना नहीं हैं। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने भी इस न्यायालय को लिखित में प्रार्थना की थी, प्रार्थीगण को मुझ पर विश्वास नहीं है इसलिए उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2019 को पत्र लिखने के उपरान्त, उक्त दोनों प्रकरण इस न्यायालय के आदेश के इन्तजार में लम्बित रहें और इस न्यायालय के आदेश के बाद दिनांक 29.07.2019 को पत्रावली पेशी में ली गई और पीठासीन अधिकारी द्वारा पुनः प्रार्थीगण के अधिवक्ता पर आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्रों पर बहस की जाने हेतु दबाव बनाया गया जबकि सुखविन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर प्रार्थीगण का भी जवाब दिया जाना शेष था। इसके बावजूद भी पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि के विपरीत जाकर दिनांक 2907.2019 को दवाब बनाया गया कि आज ही प्रार्थना पत्र पर बहस करों किन्तु प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बार—बार निवेदन करने पर दिनांक 29.07.2019 से आगामी पेशी दिनांक 31.07.2019 में रखी गई कि दोनों प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी जावेगी। जिससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है, इसलिए प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 29.07.2019 को न्यायालय परिसर में प्रार्थी संख्या 1 ता 3 व उनकी ओर से पैरवीकर्ता ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

95/19
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता को न्यायालय परिसर में एलानिया कहा कि मुकद्दमे का फैंसला जल्द ही उनके पक्ष में हो जायेगा, जिससे प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की कतई संभावना नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय से उक्त दोनों प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संख्या 616/2018 गुरदीप सिंह बनाम बलदेव सिंह अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अपने पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा रखी है, इसलिए प्रार्थीगण उक्त मामलें मे जानबूझकर निस्तारण में विलम्ब करवाना चाहते है, जिसके लिए उन्होनें पीठासीन अधिकारी की मिली भगत से उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, श्रीमान्जी को उक्त लम्बित प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल करने की प्रार्थना की है और आप द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया गया कि अगर प्रार्थीगण को कोई आपत्ति है तो स्वयं इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है। जिसके बाद यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र उनके द्वारा जानबूझकर, प्रकरण में विलम्ब करने के लिए पुनः पेश किया गया और पीठासीन अधिकारी द्वारा आप द्वारा चाही गई टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए अप्रार्थीगण को भी पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल किये जाने में उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें दोनों अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के समक्ष एक वाद संख्या 111/2018 अनवानी गुरदीप सिंह आदि बनाम बलदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं विविध प्रकरण संख्या 616/2018 अनवानी गुरदीप सिंह आदि बनाम बलदेव सिंह अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखे है जो उनके समक्ष लम्बित है और उनके द्वोनों प्रकरण में

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

95/19
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव होने के कारण उक्त प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रस्तुत उक्त मुंतकिल प्रार्थना पत्र के अलावां उपखण्ड अधिकारी, करणपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया था कि उन्हें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 23.04.2019 के द्वारा इस न्यायालय को उक्त प्रकरणों को मुंतकिल करने की प्रार्थना की, जो इस आधार पर स्वीकार नहीं की गई कि किसी पक्षकार को किसी पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना न हो तो उसे स्वयं मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए न कि पीठासीन अधिकारी को, जिस हेतु इस न्यायालय के पत्रांक दिनांक 17.07.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को सूचित किया गया। इसके पश्चात प्रार्थीगण ने यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2019 को इस न्यायालय में पेश किया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त मुंतकिल प्रार्थना पत्र पर इस कार्यालय के द्वारा टिप्पणी चाही गई, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। मुंतकिल प्रार्थना पत्र के साथ 212 आरटी.ए. के प्रकरण संख्या 616/2018 मे पारित आदेश दिनांक 14.12.2018 की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है, जो अब भी जारी है और दो प्रार्थना पत्र नियम 1 आदेश 10 सीपीसी के भी विचाराधीन चले आ रहे है।

चूंकि प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है और प्रार्थना की है कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उक्त प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से यह कथन किया है कि प्रार्थीगण ने एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा अपने पक्ष में जारी करवा रखी है और जानबूझकर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब की दृष्टि से यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि पूर्व

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

95/19
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

ने उपखण्ड अधिकारी ने स्वयं ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र लिखित में उक्त प्रकरणों को अन्यत्र मुंतकिल करने की प्रार्थना की थी, जिससे अप्रार्थीगण को भी उपखण्ड अधिकारी से निष्पक्ष रूप से न्याय मिलने की सम्भावना नहीं होना बताया है और इस प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल करने में अप्रार्थीगण ने भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। ऐसी दशा में जब दोनों पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है तो न्यायहित में उक्त दोनों प्रकरणों को उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर के के न्यायालय में लम्बित दावा संख्या 111/2018 अनवानी गुरदीप सिंह आदि बनाम बलदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं विविध प्रकरण संख्या 616/2018 अनवानी गुरदीप सिंह आदि बनाम बलदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 को सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर को सुनवाई एवं नियमानुसार निस्तारण हेतु मुंतकिल किये जाते है और उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्त दोनों प्रकरण सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर को अतिशीघ्र भिजवाये जावे। **सम्बन्धित पक्षकार दिनांक 02.09.2019 को सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर